राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक प.11(3)25/मो/आईसीडीएस/05/8373-8676 जयपुर, दिनांक 8.2.10

बाल विकास परियोजना अधिकारी,
महिला एवं बाल विकास विभाग
(समस्त)

विषयः– आंगनबाडी कार्यकर्ता/सहायिका चयन हेतु ग्रामसभा आयोजन के दिशा–निर्देश।

राज्य में नवीन स्वीकृत आंगनबाडी केन्द्रों को ग्रामसभाओं के माध्यम से प्रारम्भ किया जाना है। अतः नवीन केन्द्रों के संचालन हेतु ग्रामसभा के आयोजन में निम्न व्यवस्थाएं प्रभावी की जावें:–

- प्रत्येक ग्राम के लिए पृथक–पथक ग्रामसभा आयोजन का दैनिक कलैण्डर बनाया जावे। प्रत्येक ग्राम मे विभागीय कार्मिक की उपस्थिति ग्राम सभा के दौरान सुनिश्चित की जावे। ग्रामसभा के कैलेण्डर के अनुरूप आयोजन हेतु जिला परिषद को अनुरोध किया जावे एवं ग्रामसभा आयोजन की सहमति प्राप्त की जावे।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत को उनके क्षेत्र में खोले जाने वाले आंगनबाडी केन्द्रो/मिनी केन्द्रो की सूची कार्यकर्ता/सहायिका चयन के मानदण्ड, भवन की व्यवस्था के दिशा–निर्देश, मानदेय कार्मिको हेतु वांछित दस्तावेजों की सूची, आवेदन पत्र का प्रारूप, कार्य की शर्ते तथा देय सुविधाओं का संक्षिप्त विवरण ग्रामसभा आयोजन के न्यूनतम 3 दिवस पूर्व भिजवाया जावे।
- प्रत्येक पंचायत समिति/नगरपालिका क्षेत्र में खोले जाने वाले केन्द्रों एवं रिक्तियों की सूचना संबधित क्षेत्र के सार्वजनिक स्थलों, पंचायत समिति कार्यालय, नगरपालिका कार्यालय, ग्राम पंचायत, उपखण्ड कार्यालय आदि स्थलों पर भी चस्पा की जावे।
- आंगनबाडी कार्य के लिए इच्छुक महिलाओं के आवेदन पत्र प्राप्त करने की व्यवस्था संबंधित ग्राम पंचायत/नगर पालिका का कार्यालय/वार्ड कार्यालय एवं संबंधित परियोजना कार्यालय पर भी की जावे ताकि सभी योग्य महिलाएं आवेदन कर सके एवं ग्रामसभा में उनके प्रस्तावों को रखा जा सकें।
- दोनो स्थानों पर एकत्रित आवेदन पत्रों को संबधित पर्यवेक्षक/कार्मिको द्वारा एकत्रित किया जावे एव ग्रामसभा/कमेटी में सभी स्त्रोतों से एकत्रित आवेदन पत्रों को रखा जावे। ग्रामसभा/कमेटी में सभी प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार करते हुए योग्यत महिला की चयन की व्यवस्था की जावें।
- आंगनबाडी कार्यकर्ता एवं सहायिका दोनों का चयन एक ही ग्रामसभा में किया जावे।
- केन्द्र संचालन हेतु आयोजित ग्रामसभा में ही केन्द्र के लिए भवन की व्यवस्था भी की जावे। इस कार्य को सुविधाजनक रूप से सम्पन्न करने के लिए ग्राम में उपलब्ध परिसम्पत्ती की सूची पूर्व में ही तैयार कर ली जावे ताकि ग्रामसभा मे निर्णय लिये जाने की सहुलियत रहें। आंगनबाडी केन्द्र भवन हेतु प्रथम प्राथमिकता ग्राम में स्थित प्राथमिक विद्यालय को दी जावे। विद्यालय में अतिरिक्त कक्ष उपलब्ध होने पर केन्द्र प्राथमिक विद्यालय में ही संचालित किया जावे। इसके उपरान्त उप केन्द्र अन्य सामुदायिक अथवा सरकारी भवनों को चुना जावे। ग्राम में सरकारी/सामुदायिक भवन उपलब्ध नहीं होने पर किराये पर भवन लेने का प्रस्ताव पारित करवा लिया जावे। किराये का भवन लेते समय केन्द्र प्रारम्भ करने के सामान्य दिशा– निर्देशों में उल्लेखित बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुये ग्रामसभाओं का आयोजन सुनिश्चित किया जावे।

8677-8775
8.2.10

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपिः–

1. समस्त जिला कलेक्टर ।
2. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद।
3. समस्त उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग।
4. पुजारी, कम्प्यूटर शाखा,

संयुक्त निदेशक (मो.)
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर